प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनांक – 27.08.2026

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में मिशन मजनू अभियान के तहत थाना महुली पुलिस द्वारा चलाया गया वृहद चेकिंग एवं निगरानी अभियान

चेकिंग अभियान के दौरान 02 वाहनों का किया गया चालान, 05 व्यक्तियों से भरवाया गया माफीनामा

महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा तथा सार्वजनिक स्थानों पर मनचलों एवं अराजक तत्वों की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में थाना महुली पुलिस द्वारा ***मिशन मजनू अभियान*** के तहत वृहद चेकिंग एवं निगरानी अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान स्कूल-कॉलेज, प्रमुख चौराहों, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सघन चेकिंग करते हुए संदिग्ध व्यक्तियों एवं गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी गयी। पुलिस टीम द्वारा अनावश्यक रूप से घूमने वाले तथा संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों से पूछताछ कर उन्हें आवश्यक हिदायत दी गयी। महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत संवेदनशील स्थानों पर सादे वस्त्रों में पुलिसकर्मियों की तैनाती कर सतत निगरानी सुनिश्चित की जा रही है, जिससे मनचलों एवं अराजक तत्वों की गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।

चेकिंग अभियान के दौरान 02 वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए जुर्माना किया गया, जबकि 05 व्यक्तियों से माफीनामा भरवाकर भविष्य में किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि में संलिप्त न होने की कड़ी हिदायत दी गयी। थाना महुली पुलिस द्वारा आमजन से अपील की गयी कि महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस का सहयोग करें। किसी भी व्यक्ति द्वारा छेड़छाड़, पीछा करने, अभद्रता अथवा अन्य संदिग्ध गतिविधि किए जाने की जानकारी होने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए धोखाधड़ी/कूटरचित दस्तावेज पर फर्जी तरीके से पासपोर्ट बनवाने के मामले में 01 अभियुक्त को गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री अभयनाथ मिश्रा* के निकट पर्यवेक्षण में थाना धनघटा पुलिस द्वारा मु0अ0स0 214/2026 धारा 318(4) बीएनएस व 12(1) (B) पासपोर्ट अधि0 तथा बढोतरी धारा 338/336(3)/340 बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त नाम पता सद्दाम हुसैन पुत्र कमरुद्दीन निवासी ग्राम रामपुर मध्य थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को तहसील धनघटा गेट से आज दिनाँक 27.08.2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनाँक 15.04.2026 को वादी मुकदमा उ0नि0 श्री रामकेवल भारती के तहरीरी सूचना पर थाना धनघटा पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध धोखाधड़ी/कूटरचित दस्तावेज पर फर्जी तरीके से पासपोर्ट बनवाने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियुक्त को आज दिनाँक 27.08.2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 श्री कमलेश यादव, का0 विवेक तिवारी।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए हत्या कर साक्ष्य छिपाने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में ***थाना मेंहदावल पुलिस*** द्वारा कार्यवाही करते हुए हत्या कर साक्ष्य छिपाने के मामले में वांछित अभियुक्त **रामभजन यादव पुत्र बुद्धिराम यादव निवासी ग्राम मिश्रौलिया मिश्र टोला सोहरवलिया थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर** को बाराखाल तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का विवरणः- दिनाँक 18.08.2026 को वादी श्री राजेन्द्र यादव पुत्र लालमन यादव निवासी मिश्रवलिया टोला दूधनाथ जोत, थाना बृजमनगंज जनपद महाराजगंज द्वारा अपनी पुत्री पुष्पा उर्फ गुड़िया पत्नी रामभजन यादव निवासी ग्राम मिश्रवलिया मिश्र टोला सोहरवलिया थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर के घर से कहीं चले जाने के सम्बन्ध में थाना मेंहदावल पर गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। दिनाँक 25.08.2026 को सोशल मीडिया एवं थाना मेंहदावल पुलिस के माध्यम से वादी को जानकारी प्राप्त हुई कि थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर क्षेत्र में दिनाँक 07.08.2026 को एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ था। सूचना पर वादी अपनी पत्नी प्रेमशीला के साथ थाना चिलुआताल पहुंचे, जहां पुलिस द्वारा सुरक्षित रखे गए महिला के वस्त्र एवं फोटो दिखाए गए। वादी की पत्नी ने वस्त्रों की पहचान अपनी पुत्री पुष्पा उर्फ गुड़िया के रूप में की। वादी द्वारा अपने दामाद रामभजन यादव पुत्र बुद्धिराम यादव के विरुद्ध उनकी पुत्री पुष्पा उर्फ गुड़िया की हत्या कर शव को नदी में फेंक देने के सम्बन्ध में दिनाँक 26.08.2026 को प्रार्थना पत्र दिया गया। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना मेंहदावल पर मु0अ0सं0 365/2026 धारा 103(1),238 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-
रामभजन यादव पुत्र बुद्धिराम यादव निवासी ग्राम मिश्रौलिया मिश्र टोला सोहरवलिया थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर।

पूछताछ विवरणः-
गिरफ्तार किये गये अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो बताया कि मैं कानपुर में रहकर पल्लेदारी का काम करता हूं। मेरी शादी लगभग 12 वर्ष पहले पुष्पा उर्फ गुड़िया पुत्री राजेन्द्र यादव निवासी ग्राम दूधनाथ थाना बृजमनगंज जिला महाराजगंज के साथ हुई थी। मेरी दो बच्चियां हैं। मेरी पत्नी व बच्चियां घर पर ग्राम मिश्रौलिया मिश्र टोला सोहरवलिया थाना मेंहदावल में ही रहती थी। दिनांक 04.08.2026 को कानपुर से आने के बाद उसी दिन दोपहर में मईला के एक टैम्पो वाले को मेरी पत्नी और बच्चो को लेकर करमैनी लाने के लिए घर भेजा। करमैनी पहुँचकर मैने टेम्पो वाले को भाड़ा देकर छोड़ दिया तथा पत्नी से बताया कि तुमको बाबा को दिखाना है तथा झाड़ फूक कराना है जिससे तुम्हारी जो तबीयत खराब रहती है वह ठीक हो जायेगी। पत्नी व बच्चो को वही करमैनी घूमाता रहा तथा खिलाता पिलाता रहा। मुसाबाद रिगौली बाजार के पास के रहने वाले मेरे एक मित्र हैं जो पहले मेरे साथ काम करते थे, उनके पड़ोस का एक आदमी जा रहा था तो मैंने मित्र को फोन करके उसके साथ दोनो बच्चियों को अपने मित्र के घर भेज दिया कि मैं अभी कुछ काम में व्यस्त हूं, तीन चार घंटे में आ जाऊंगा। रात करीब 08.30 बजे पत्नी से कहा कि चलो पुल के नीचे घाट के किनारे बाबा रहते है, उनसे झाड़ फूंक करा दें तथा पत्नी को करमैनी घाट पुल के नीचे घाट के किनारे करीब एक किमी अन्दर ले गया। वहां उसके सिर पर डन्डे से मारा तथा पानी में डुबाकर मार दिया। डन्डा नदी में फेंक दिया तथा वही एक बोरी पड़ी थी। बोरी में बालू भरकर अपनी पत्नी के पीठ पर रखकर बांध दिया तथा लाश को नदी में फेंक दिया। वहां से सुबाष साहनी के घर चला गया था। अगले दिन 05.08.2026 को सुबह दोनो बच्चियों को लेकर ससुराल गया तथा बच्चियों को वही छोड़कर फिर वापस कानपुर चला गया था।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगणः-

- प्रभारी निरीक्षक थाना मेंहदावल श्री राकेश कुमार सिंह, का0 धीरेन्द्र प्रताप सिंह, रि0का0 विशाल निषाद।

ऑपरेशन मजनू के तहत संतकबीरनगर पुलिस की व्यापक कार्रवाई, 97 से भरवाया माफीनामा, 20 वाहन सीज, 407 वाहनों का चालान एवं 14 व्यक्तियों के विरुद्ध 170/126/135 बीएनएसएस के तहत की गयी कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे आपरेशन मजनू अभियान के क्रम में छात्राओं, महिलाओं एवं आमजन को सुरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में **"ऑपरेशन मजनू" के तहत व्यापक चेकिंग एवं कार्रवाई अभियान** चलाया गया। अभियान के दौरान थाना क्षेत्र के विभिन्न स्कूल-कॉलेजों, शिक्षण संस्थानों के आसपास, प्रमुख मार्गों एवं अन्य संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी की गयी। पुलिस टीमों द्वारा अनावश्यक रूप से घूमने वाले युवकों, छात्राओं एवं महिलाओं को असहज करने वाली गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों तथा कम उम्र में वाहन चलाने वाले किशोरों की चेकिंग की गई। रास्तों में अशोभनीय हरकत, छेड़खानी अथवा किसी भी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने वालों को सख्त चेतावनी देते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की गई। इस दौरान जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में स्कूल-कॉलेजों एवं संवेदनशील स्थानों पर चेकिंग करते हुए 97 व्यक्तियों से माफीनामा भरवाया गया, 20 वाहनों को सीज किया गया, 407 वाहनों का चालान किया गया तथा 14 व्यक्तियों का धारा 170/126/135 बीएनएसएस के तहत चालान किया गया।

□ कम उम्र में वाहन चलाने वालों को किया गया जागरूक
कम उम्र के बच्चों द्वारा वाहन चलाने के मामलों में अभिभावकों को भी जागरूक किया गया कि बच्चों को समय से पहले वाहन की चाबी देना उनके जीवन को जोखिम में डाल सकता है। एक छोटी सी लापरवाही सड़क हादसे का कारण बन सकती है और पूरे परिवार की खुशियां प्रभावित हो सकती हैं।

❤□ बेटियों की सुरक्षा पूरे समाज की जिम्मेदारी
जनपद संतकबीरनगर पुलिस का यह अभियान केवल कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में सुरक्षित वातावरण एवं सकारात्मक सोच विकसित करने का प्रयास है। हर बेटी को यह भरोसा होना चाहिए कि वह बिना डर के स्कूल जा सकती है, सड़क पर चल सकती है और अपने सपनों की ओर बढ़ सकती है।
पुलिस का संकल्प है कि बेटियों के सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा और सार्वजनिक स्थानों पर अशोभनीय गतिविधियों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी।
पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशों के क्रम अभियान को आगे भी निरंतर जारी रखा जाएगा। आमजन से अपील है कि किसी भी मनचले अथवा संदिग्ध व्यक्ति की गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए निर्धारित मानकों का उल्लंघन कर तेज आवाज में डीजे बजाने पर 03 पिकअप वाहन व उन पर लदे 32 डीजे साउण्ड बॉक्स को किया गया सीज

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में बारावफात त्योहार एवं आगामी पर्व-त्योहारों के दृष्टिगत जनपद में शांति व्यवस्था एवं ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना बखिरा पुलिस द्वारा तेज ध्वनि में डीजे बजा रहे 03 पिकअप वाहन सहित 32 डीजे साउण्ड बॉक्स को सीज कर थाना बखिरा पर मु0अ0सं0 336/2026 धारा 270, 292, 293 बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

घटना का विवरणः- दिनाँक 26.08.2026 को उ0नि0 श्री संजय सिंह मय पुलिस टीम द्वारा नन्दौर चौराहे पर शांति व्यवस्था ड्यूटी के दौरान चेकिंग/निगरानी की जा रही थी। इसी दौरान 03 पिकअप वाहनों पर अत्यधिक तेज आवाज में डीजे/ध्वनि विस्तारक यंत्र बजते पाए गए, जिससे आसपास रहने वाले लोगों एवं मौके पर उपस्थित आमजन को परेशानी एवं असुविधा हो रही थी तथा सामान्य जनजीवन एवं शांति व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। पुलिस टीम द्वारा संबंधित डीजे संचालकों को ध्वनि कम करने एवं डीजे बंद करने हेतु निर्देशित किया गया, लेकिन निर्देश के बावजूद तेज आवाज में डीजे बजाना जारी रखा गया। डीजे/ध्वनि विस्तारक यंत्र के संचालन की अनुमति के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर संचालकों द्वारा कोई वैध अनुमति प्रस्तुत नहीं की गयी। पुलिस द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए 03 पिकअप वाहन एवं उन पर लगे डीजे सेट को सीज किया गया।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आमजन से अपील की जाती है कि त्योहारों के दौरान निर्धारित नियमों एवं ध्वनि सीमा का पालन करें तथा शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें।

पुलिस टीम का विवरणः- उ0नि0 श्री संजय सिंह, उ0नि0 श्री सुरेश यादव, उ0नि0 श्री राममिलन साहनी, उ0नि0 श्री मोहन प्रसाद चौधरी, उ0नि0 श्री सुरेन्द्र यादव, का० प्रमोद शर्मा,का० शैलेन्द्र यादव,का० लवकेश यादव,का० हिमांशु मिश्रा,का० संजीव यादव।

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप तालाब से मछली चोरी करने के मामले में अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे ***"ऑपरेशन कन्विक्शन"*** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 27.08.2026 को माननीय न्यायालय सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादिनी मुकदमा श्रीमती दुर्गावती देवी पत्नी चन्द्रशेखर निवासी पखुआपार थाना कोतवाली खलीलाबाद द्वारा दिनांक 24.07.2003 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियुक्त पवन कुमार पुत्र ब्रम्हदेव निवासी पखुआपार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध वादिनी के तालाब से अपने सहयोगियों के साथ मिलकर मछली चोरी करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर उ0नि0 श्री सर्वदेव सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 22/2003 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त पवन कुमार उपरोक्त को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर जेल में बितायी गयी अवधि एवं 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।